Regarding pending cases in the courts and delay in justice.

श्री विलास मुत्तेमवार (नागपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज देश के विभिन्न न्यायालयों में करीब 3 करोड़ मामले विलम्बित हैं। इनमें लाखों मामले ऐसे हैं जो सालों से विलम्बित हैं और लाखों मामले ऐसे हैं जो एक दशक से अधिक से विलम्बित हैं जिससे लोगों का इस न्याय प्रक्रिया से विश्वास उठ रहा है। Justice delayed is, justice denied. इस ओर ध्यान देने की बहुत ही जरूरत है। इस संदर्भ में माननीय राष्ट्रपति जी, प्रधानमंत्री जी और मुख्य न्यायाधीश महोदय ने भी स्थिति को बहुत गंभीर बताया है तथा

चिन्ता व्यक्त की है। मेरा निवेदन है कि लोगों को न्याय जल्दी दिलाया जाना चाहिये। आज आवश्यकता

इस बात की है कि जहां न्यायालयों में न्यायाधीश नहीं हैं या जहां बैंचें नहीं हैं, वहां अतिरिक्त बैंचे स्थापित

---

*Not Recorded.

की जायें। न्यायाधीशों के रिक्त पद जल्द से जल्द भरे जायें और ट्रायल कोर्ट के स्तर पर अधिक जजों की नियुक्ति की जानी चाहिये। आज न्याय प्रक्रिया में भ्रटाचार बड़े पैमाने पर व्याप्त है। इसको समाप्त किया जाना चाहिये। दुर्भाग्य की बात है कि इस ओर सरकार ने बिलकुल ध्यान नहीं दिया है। यह सही है कि संविधान में संशोधन करने के लिये उन्होंने पहल की है लेकिन न्याय प्रक्रिया में कुछ तबदीली लाने के लिये सरकार ने कोई पहल नहीं की है। यहां तक कि सरकार ने संसदीय समिति की सिफारिशों को भी प्राथमिकता नहीं दी है। लॉ कमीशन ने इस संबंध में जो सुझाव दिये हैं, वे अत्यंत आवश्यक सुझाव हैं जिसे सरकार संसद में विधेयक के रूप में ला सकती है। इसको क्रियान्वित करने की जरूरत है।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार चुनाव सुधारों की स्थिति है। उसमें भी सुधार किये जाने की आवश्यकता है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इन सुझावों पर ध्यान दिया जाये।